फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

राजन्ती देवी बनाम बनवारीलाल वगै0

मु0नं0— 35 / 2024

किस्म मुकदमा—प्रा0पत्र अस्थाई निषे0

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1991, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2009 वाके ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा मे स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि से लगते हुए ही अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1997 स्थित है, अप्रार्थीगण की अपनी उक्त भूमि की आड में प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है इसलिए प्रकरण में जारी अस्थाई निषे0 की मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीगण अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि में निर्माण कर रहे है उनका प्रार्थीया की भूमि से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जबरन अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नीयत से एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किए गए है। तथा जारी स्थगन की आड में अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि में निर्माण करने से रोका जा रहा है इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषे0 खारिज की जावें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का मनन किया, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस तथा पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण को उनकी स्वंय की खातेदारी भूमि में निर्माण किए जाने से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थीगण को अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि में निर्माण करने तथा उपयोग उपभोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता तथा हक अधिकार है इसलिए जारी स्थगन आदेश खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में जारी अन्तरिम अस्थाई निषे0 खारिज की जाती है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	